ACTION TAKEN REPORT

OF

Original Application No. 721/2019

In

Pramod Gautam **Applicant(s)**

VERSES

State of Uttar Pradesh **Respondent(s)**

BACKGROUND:

The Hon'ble NGT (PRINCIPAL BENCH) vide its order dated 18/09/2019 mentioned *"Grievance in this letter, which has been treated as an application, is that black oil and kerosene oil are being used without any safeguards resulting in damage to the environment and the public health in Village Usmanpur, District Bulandshahr, Uttar Pradesh.*

Let the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in.."

The above Industry M/s Radhe Radhe Tera Kota is established at Village Usmapur, Tehsil Khurja, District Bulandshahr. The GST Registration Certificate is enclosed (Annexure Number 1). This Industry has not obtained consent to established (CTE) & not consent to operate (CTO) from UP Pollution Control Board. In the past, the official of UPPCB was inspected the above Industry on dated 05-08-2019 and found running in residential area of Village-Usmapur, Tehsil Khurja, District Bulandshahr. Hence a letter Number 1704/OG-11/Complaint/19 dated 13.08.2019 was sent to Vice-President, Khurja Development Authority, Khurja, Bulandshahr to dispose the said complaint. Copy of this letter is enclosed as Annexure Number (2).

After it, inspection of said Industry was done by Official of UP Pollution Control Board, Bulandshahr on dated 04-10-2019 and found not in operation during inspection. This Industry is illegally installed at the said site without obtaining previous consent of UP Pollution Control Board. Hence again a letter Number 1996/OA Number-721/ 2019 dated 05.10.2019 (enclosed Annexure Number 3) was sent to the Vice President, Khurja Development Authority Khurja, Bulandshahar to closed the Industry and this letter also sent to Industry for close.

In compliance of this letter, Industry informed by letter dated 19-10-2019 that Industry has closed the production work and also submitted an affidavit dated 19-10-2019. Copy of this letter & affidavit is enclosed as Annexure 04.

The latest Inspection of said Industry was done by official of UP Pollution Control Board on dated 22-10-2019. During inspection found that the Industry has dismantle the tunnel furnace & Diesel Generator Set & ensure that Industry will not be operated at this site. Photographs are enclosed as Annexure 5.

Recommandation to imposed the environmental compensation Rupees 11,65,000/- has been sent to Head Office, UPPCB, Lucknow by letter number 2373/OA No.-721/2019 dated 17.12.2019 Copy of this letter is enclosed as Annexure Number (6).

01/01/2020 — 01/01/2020

(Kunwar Santosh Kumar) — (Ajay Kumar)

Junior Engineer — Assistant Environmental Engineer

Regional Officer

01.01.20.
R.O. U.P.P.C.B. Bulandshahr.

Inspection Report AKK

Annexure No.-01

सत्यमेव जयते

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09KQEPS8817P1ZK

1.	**Legal Name**	CHANCHAL SHARMA			
2.	**Trade Name, if any**	RADHE RADHE TERRA COTTA			
3.	**Constitution of Business**	Proprietorship			
4.	**Address of Principal Place of Business**	0, USMAPUR, KHURJA, Bulandshahar, Uttar Pradesh, 203131			
5.	**Date of Liability**	15/11/2018			
6.	**Period of Validity**	From	15/11/2018	To	NA
7.	**Type of Registration**	Regular			
8.	**Particulars of Approving Authority**				

Signature

Validity unknown
Digitally signed by GOODS AND SERVICES TAX NETWORK 1
Date: 2018.11.21 00:18:35 IST

Name	
Designation	
Jurisdictional Office	
Date of issue of Certificate	21/11/2018

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

System generated digitally signed Registration Certificate issued based on the deemed approval of application on 21/11/2018.

GSTIN	09KQEPS8817P1ZK
Legal Name	CHANCHAL SHARMA
Trade Name, if any	RADHE RADHE TERRA COTTA

Details of Additional Places of Business

Total Number of Additional Places of Business in the State 0

Annexure No-02

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732-233879

ई-मेल : robulandshahar@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

Uttar Pradesh Pollution Control Board

F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर-203001

सन्दर्भ : 1704/05-11 शिकायत/19

दिनांक : 13-8-19

सेवा में,

"पंजीकृत"

उपाध्यक्ष,

खुर्जा विकास प्राधिकरण

जनपद–बुलन्दशहर।

विषयः श्री प्रमोद गौतम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर द्वारा श्री प्रदीप शर्मा एवं श्री कुलदीप पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर व श्री वीरेन्द्र कुमार श्री सजाराम, निवासी–घास मण्डी, कस्बा व थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा संचालित टैरा कोटा के बर्तन बनाने की इकाई के विरुद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोदय, बुलन्दशहर के संदर्भ सं0–3084/ई0आर0के0 दिनांक 29.06.2019, जो इस कार्यालय में दिनांक 02.07.2019 को प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत शिकायती इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.08.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त शिकायती इकाई, ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के आवासीय क्षेत्र के मध्य स्थापित/संचालित है, जिससे इकाई के संचालन से आस पास की आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 10.11.2003 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है (छायाप्रति संलग्न है), जिसमें आवासीय क्षेत्र में भू–प्रयोग के विरुद्ध स्थापित/संचालित व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों आदि के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर पालिका/स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से कार्यवाही कर शिकायत का निस्तारण कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

13.8.19

जी0एस0 श्रीवास्तव

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः श्री प्रमोद गौतम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।

13.8.19

क्षेत्रीय अधिकारी

श्री प्रमोद गौतम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर द्वारा श्री प्रदीप शर्मा एवं श्री कुलदीप पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर व श्री वीरेन्द्र कुमार श्री सजाराम, निवासी–घास मण्डी, कस्बा व थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा संचालित टैरा कोटा के बर्तन बनाने की इकाई के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

जिलाधिकारी, महोदय, बुलन्दशहर के संदर्भ सं0–3084/ई0आर0के0 दिनांक 29.06.2019 के अनुपालन में संदर्भित शिकायती इकाई का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरिकर्ताओं द्वारा दिनांक 05.08.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रदीप शर्मा एवं शिकायतकर्ता प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रमोद गौतम उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. श्री प्रदीम शर्मा एवं श्री कुलदीप पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर व श्री वीरेन्द्र कुमार एवं श्री सजाराम, निवासी–घास मण्डी, कस्बा व थाना खुर्जा नगर, जनपद–बुलन्दशहर द्वारा उक्त इकाई का संचालन किया जा रहा है। उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त इकाई का संचालन मार्च, 2019 से किया गया है।
2. प्रश्नगत् इकाई में कच्चे माल के रूप में मिट्टी एवं सिरेमिक्स कलर आदि का उपयोग कर टैरा कोटा बर्तन जैसे–कुल्हड़ इत्यादि का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय उक्त इकाई में टैरा कोटा बर्तन पकाने हेतु टनल फर्नेस स्थापित है। उक्त फर्नेस का संचालन हेतु ईधन के रूप में डीजल/आयल का उपयोग किया जाता है।
4. उक्त उद्योग में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में अनवरत् रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु एक डीजी सेट स्थापित किया गया है, परन्तु निरीक्षण के समय उक्त डीजी सेट तकनीकी खराबी के कारण बन्द पाया गया।
5. निरीक्षण के समय उपस्थित इकाई प्रतिनिधि से इकाई की स्थापनार्थ/संचालन सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु इकाई प्रतिनिधि द्वारा कोई इकाई की स्थापनार्थ/संचालन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त स्थल पर इकाई की स्थानार्थ हेतु इस कार्यालय द्वारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं इकाई के संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं किया गया है।
7. उक्त इकाई उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर के आवाससीय क्षेत्र के मध्य स्थापित/संचालित है।

उपरोक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुये उक्त संदर्भित शिकायती इकाई, ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के आवासीय क्षेत्र के मध्य स्थापित/संचालित है, जिससे इकाई के संचालन से आस पास की आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 10.11.2003 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है (छायाप्रति संलग्न है), जिसमें आवासीय क्षेत्र में भू–प्रयोग के विरूद्ध स्थापित/संचालित व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों आदि के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर पालिका/स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है।

अतः प्रश्नगत् शिकायती इकाई को ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर से स्थानान्तरित कराने की कार्यवाही हेतु सम्बधित खुर्जा विकास प्राधिकरण, खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर को पत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

13/08/19 13/08/19

(राहुल) (कुँवर संतोष कुमार)
जे0आर0एफ0 अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी, महोदय,

13.08.19

Annexure No-03

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732-233879

ई-मेल : robulandshahar@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

Uttar Pradesh Pollution Control Board

F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर-203001

सन्दर्भ : 1996/OA-No-721/2019/19 दिनांक : 05.10.19

सेवा में, "पंजीकृत"

उपाध्यक्ष,
खुर्जा विकास प्राधिकरण,
जनपद–बुलन्दशहर।

विषयः **श्री प्रमोद गौतम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर द्वारा श्री प्रदीप शर्मा एवं श्री कुलदीप पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर व श्री वीरेन्द्र कुमार श्री सजाराम, निवासी–घास मण्डी, कस्बा व थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा संचालित टैरा कोटा के बर्तन बनाने की इकाई के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत शिकायती इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.10.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त शिकायती इकाई ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के आवासीय क्षेत्र के मध्य स्थापित/संचालित है। इकाई के संचालन से आस पास की आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियॉ के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 10.11.2003 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है (छायाप्रति संलग्न है) एवं एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एच35723/सी–4/ओ0ए0 सं0–64/2016 दिनांक 10.05.2019 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है, (छायाप्रति संलग्न है) कि आवासीय क्षेत्र में भू–प्रयोग के विरूद्ध स्थापित/संचालित व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने की कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर पालिका/स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है, जिसको दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त वर्णित इकाई को अन्यत्र उचित स्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–1704/ओजी–11/शिकायत/19 दिनांक 13.08.2019 के माध्यम से आपको पूर्व में भी पत्र प्रेषित किया गया था, (छायाप्रति संलग्न है), जिसकी कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय में प्राप्त नहीं है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–721/2019 श्री प्रमोद गौतम बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019, (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में उक्त इकाई के सम्बन्ध में आख्या समयावधि में मा0 एन0जी0टी0 में प्रेषित की जानी है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रश्नगत् इकाई को तत्काल बन्द कराये जाने/अन्यत्र उचित स्थल पर स्थानान्तरित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी निर्देशित करने का कष्ट करें तथा शिकायत का निस्तारण कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के अनुपालन आख्या समय से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

5.10.19

(जी0एस0 श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः 1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2. श्री प्रमोद गौतम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवासीय क्षेत्र में भू–प्रयोग के विरूद्ध स्थापित/संचालित इकाई में उत्पादन कार्य तत्काल बन्द कर दिया जाये।

5.10.19

क्षेत्रीय अधिकारी

राधे–राधे टेराकोटा द्वारा श्री प्रदीप शर्मा एवं श्री कुलदीप पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी–ग्राम–उस्मा
रगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त इकाई का निरीक्षण दिनांक 04.10.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रदीम शर्मा एवं शिकायतकर्ता श्री प्रमोद गौतम उपस्थित थे तथा इकाई में उत्पादन कार्य स्वयं के कारणों से बन्द था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. उक्त इकाई का संचालन माह मार्च, 2019 से किया जाना अवगत कराया गया है।
2. संदर्भित इकाई में कच्चे माल के रूप में मिट्टी एवं सिरेमिक्स कलर आदि का उपयोग कर टैरा कोटा बर्तन जैसे–कुल्हड़ इत्यादि का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय उक्त इकाई में टैरा कोटा बर्तन पकाने हेतु टनल फर्नेस स्थापित पायी गयी। उक्त फर्नेस का संचालन हेतु ईधन के रूप में डीजल आयल का उपयोग किया जाता है। निरीक्षण के समय टनल फर्नेस से सम्बद्ध चिमनी (एम0एस0 निर्मित) की ऊँचाई भू–तल लगभग 06–मीटर पायी गयी। उद्योग में स्थापित चिमनी की ऊँचाई मानको के अनुरूप नहीं है।
4. उक्त इकाई में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में अनवरत् रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु एक डीजी सेट क्षमता 7.5 के0वी0ए0 स्थापित किया गया है। उक्त डी0जी0 सेट पर ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। डी0जी0 सेट हेतु ईधन के रूप में डीजल लगभग 01 लीटर/घण्टा की दर से प्रयोग किया जाता है।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त स्थल पर इकाई की स्थापनार्थ बोर्ड द्वारा इकाई की स्थापना/संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है।
6. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–721/2019 श्री प्रमोद गौतम बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के अनुपालन में उक्त इकाई के सम्बन्ध में आख्या मा0 एन0जी0टी0 में प्रेषित की जानी है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, उपरोक्त संदर्भित ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर के आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र के मध्य स्थापित/संचालित है, जिससे इकाई के संचालन से आस–पास की आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियां अनुमन्य न होने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र दिनांक 10.11.2003 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है, (छायाप्रति संलग्न है) एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एच35723/सी–4/ओ0ए0 सं0–64/2016 दिनांक 10.05.2019 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है, (छायाप्रति संलग्न है) के द्वारा आवासीय क्षेत्र में भू–उपयोग के विरूद्ध स्थापित/संचालित व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने की कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है।

अतः प्रश्नगत शिकायती इकाई ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण, खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर को पत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

04/10/19   04/10/19

(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी, महोदय,

(1)

शीघ्रअतिशीघ्र/ कोर्ट केस अनुपालन

संख्या–सी.एम.–09(1)/ 9–आ–3–2003–02रिट/ 2003

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2–उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3–नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 [illegible]

विषय: महायोजना में अंकित आवासीय भू-उपयोग में चल रही व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–34857/ 2003 श्रीमती मिथिलेश [illegible] (आवास) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.8.2003 को दिए गये निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू-उपयोग में चल रही व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल रोकने हेतु आदेश दिया गया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु शासनादेश संख्या–सी.एम.–08/ 9–आ–3–2003–66रिट/ 2003 दिनांक 5 सितम्बर, 2003 प्रख्यापित किया गया है।

2– मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विकास प्राधिकरणों/ विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया जाता है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/ जोनल डेवलपमेंट प्लान/ सेक्टर प्लान/ ले-आउट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग/ अनुमन्य भवन उपयोग के विरुद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा नियम विरुद्ध उपयोग/ निर्माण कार्य को उसके आरम्भिक चरण में ही तत्काल रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– यह भी उल्लेखनीय है कि नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में भूमि/ भवन के अवैध उपयोग के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में [illegible] दिनांक 15 मई, 2001 तथा [illegible] शासनादेश संख्या 2232/ 9–आ–1–2003, दिनांक 04–4–2003 द्वारा आवास [illegible]

विकास परिषद तथा सम्बद्ध विकास प्राधिकरणों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। शासनादेश दिनांक 04-4-2003 में महायोजना/ ले-आउट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत किये गये निर्माण कार्य के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रक्रिया भी निर्धारित की गयी है। कृपया उक्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्त प्रवर्तन-कार्यवाहियों हेतु सभी प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र, अपने क्षेत्र को विभिन्न जोनों में बाँटकर, प्रत्येक जोन हेतु एक स्पेशल यूनिट (सेल) का गठन करेंगे जिनके द्वारा प्रभावी निगरानी/ निरीक्षण कर प्रत्येक माह में अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

5- उक्त कार्यवाही में सम्बन्धित जोन की स्पेशल इकाई के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा तथा उक्त कार्य में [illegible] शिथिलता का समस्त उत्तरदायित्व उक्त इकाई के प्रभारी अधिकारी का होगा।

6- मा0 न्यायालय के आदेश के नियमानुसार प्रभावी अनुपालन हेतु सभी विकास प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं सम्बद्ध अभियान चलाकर, उक्त अभियान की कार्यवाही की आख्या सम्बन्धित प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी को सौंपेंगे तथा समेकित अनुपालन आख्या शासन को प्रत्येक तीन माह में प्रेषित की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अखण्ड प्रताप सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1- श्री ओ0एन0 खण्डेलवाल, एच0जे0एस0 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-सी0पी0ए0(आर0जी0)/ 140/ 2003 दिनांक 14.8.2003 के संदर्भ में शासनादेश दिनांक 5 सितम्बर, 2003 की प्रति के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।
2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- अधिशासी निदेशक आवास बन्धु उत्तर प्रदेश
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे.एस.मिश्र)
सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- H35723/सी-4/OA No 64/2016 दिनांक- 10-5-19

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 64/2016 एवं एम0ए0 सं0 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम् उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 28.11.2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 64/2016 एवं एम0ए0 सं0 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम् उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में दिनांक 28.11.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है ....

"Even though the present application referred to be the units at Mathura order of the Hon'ble Supreme Court dated 23-09-2013 was for the entire State of Uttar Pradesh. To give effect to the said order, it is essential that the state of U.P. and UPPCB take further steps for other parts of the State and the report."

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका सं0 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या- सी0एस0/89/9-आ-3-2003-82 रिट/2003 दिनांकित- 05.09.2003 एवं शासनादेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-आ-3-2003-82रिट/2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 10-11-2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू-उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त याचिका सं0-34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश 35557/सी-4/उ0प्र0 शासन/04 दिनांक 16.08.2004 जारी किया गया है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (Civil) No (s). 4295 2011 (M/s Manoj Mini Rice Mill & Ans Vs State of U.P. & Ors. में दिनांक 23.09.2013 को पारित आदेश

"We consider it necessary to observe that the Government of Uttar Pradesh and its officers as also the Uttar Pradesh Pollution Control Board shall take active and effective steps for implementation of the directions given by the High Court in Writ Petition No.

टी.सी. 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

Scanned by CamScanner

34957 of 2003 – Srimati Mithilesh Jain V. State of U.P. and others and order passed in P.I.L. Writ Petition No. 15432/2010 Smt. Indira Singh vs. State of U.P. and others and ensure that all commercial and industries are shifted out of the residential areas without any delay."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक के अनुपालन में आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप उद्योगों की शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को प्रकरण तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सम्प्रेषण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल निर्णय पारित किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

संलग्नक : मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. समस्त वृत्त अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अनु सचिव, पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक–1745/पी0एस0एम0एस0/एस0ओ0–2018 दिनांक– 05.12.2018 के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रमुख सचिव महोदय स्तर से शासनादेश निर्गत कराये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना चाहेंगे।

सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner

Annexure No.-04
19/10/

सेवा में श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बुलन्दशहर

विषय — उद्योग को बन्द कर दिया जाना है
जिसके सम्बन्ध में शपथपत्र
प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में

महोदय,

A.E.E. ग्रा
[illegible signature]
21.10.19

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा
ग्राम उस्मापुर पोस्ट खुर्जा तहसील
खुर्जा जनपद बुलन्दशहर में कुल्हड़ बनाने
का कार्य बन्द कर दिया गया है जिसके
सम्बन्ध में शपथपत्र प्रस्तुत किया
जा रहा है। अतः आप से अनुरोध है
कि उपरोक्त शिकायत का निस्तारण करने
की कृपा करें।

noted
[illegible signature] 21/10/19

दिनांक 19-10-2019

प्रार्थी
चंचल शर्मा
(चंचल शर्मा)
ग्राम - उस्मापुर
पोस्ट - खुर्जा
जिला - बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

380452

शपथ पत्र

सेवा में,

श्री मान क्षेत्रीय प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
शिव पुरी, रेलवे रोड. बुलन्द शहर

शपथ पत्र मैं जानिब चंचल शर्मा पत्नी श्री प्रदीप शर्मा निवासी उरभाउर पो० व था० खुरजा जिला- बुलन्द शहर

शपथी बहलफ ब्यान करती है कि-

1 यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सच्च व सही है।

2 यह कि शपथी द्वारा जो कुल्हड़ बनाने का काम अपने घर में कराया था वह अब पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है।

उपरोक्त कथन सच्च व सही है

दिनांक 15-10-2015

ATTESTED SIGNATURE/T (As Identified)

R.D SHARMA
Advocate & Notary

चंचल शर्मा
शपथी

गवाह
प्रदीप शर्मा
रामचन्द्र शर्मा

NOTARIAL

NOTARIAL

Annexure No-05

Photographs of M/s Radhe Radhe Tera Kota, Village Usmapur, Tehsil Khurja, District Bulandshahr

Inspection Report AKK

(JE)

Annexure No-6

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732-233879

ई-मेल : robulandshahar@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

Uttar Pradesh Pollution Control Board

F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर-203001

सन्दर्भ : 2373/O.A. NO-721/2019 दिनांक : 17.12.19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–721/2019 प्रमोद गौतम प्रति स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में बोर्ड अधिवक्ता श्री प्रदीप मिश्रा से इस कार्यालय द्वारा सम्पर्क किया गया। श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता द्वारा इकाई को सहमति जल/वायु प्राप्त न होने के कारण संचालित समयावधि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की सलाह दी गयी।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उद्योग की निरीक्षण आख्या दिनांक 13.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार उद्योग मार्च 2019 से संचालित है तथा उद्योग में उत्पादन कार्य दिनांक 19.10.2019 को बन्द किया गया है। इस सम्बन्ध में उद्योग द्वारा प्रेषित शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उक्त से स्पष्ट है कि उद्योग मै0 राधे–राधे टैरा कोटा, ग्राम–उस्मापुर, तहसील–खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर का संचालन दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 19.10.2019 तक किया गया है। उक्त अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की गाइड लाईन के अनुसार रू0 5000/– प्रतिदिन की दर से कुल 233 दिन हेतु रू0 11,65,000/– (ग्यारह लाख पैसठ हजार) मात्र अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

17.12.19

(जी0एस0 श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्यालय : TC-12 V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा योजित ऑरिजनल ऐप्लीकेशन नं0–721 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 44436 / सी–4 / एन0जी0टी0–95 / 2019 दिनांक 02.12.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मै0 राधे राधे टैरा कोटा, ग्राम–उस्मापुर, तहसील–खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्व पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक–एच 44436 / सी–4 / एन0जी0टी0–95 / 2019 दिनांक 02.12.2019 के अनुपालन में बोर्ड अधिवक्ता श्री प्रदीप मिश्रा से इस कार्यालय द्वारा सम्पर्क किया गया। श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता द्वारा इकाई को सहमति जल / वायु प्राप्त न होने के कारण संचालित समयावधि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की सलाह दी गयी।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उद्योग की निरीक्षण आख्या दिनांक 13.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार उद्योग मार्च 2019 से संचालित है तथा उद्योग में उत्पादन कार्य दिनांक 19.10.2019 को बन्द किया गया है। इस सम्बन्ध में उद्योग द्वारा प्रेषित शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उक्त से स्पष्ट है कि उद्योग मै0 राधे–राधे टैरा कोटा, ग्राम–उस्मापुर, तहसील–खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर का संचालन दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 19.10.2019 तक किया गया है। उक्त अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की गाइड लाईन के अनुसार रू0 5000 / – प्रतिदिन की दर से कुल 233 दिन हेतु रू0 1165000 / – (ग्यारह लाख पैसठ हजार) मात्र अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
दूरभाष : 05732-233879
ई-मेल : robulandshahar@uppcb.com
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर-203001

सन्दर्भ : 1704/05-11 शिकायत/19

दिनांक : 13-8-19

सेवा में,

"पंजीकृत"

उपाध्यक्ष,
खुर्जा विकास प्राधिकरण
जनपद–बुलन्दशहर।

विषयः श्री प्रमोद गौतम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर द्वारा श्री प्रदीप शर्मा एवं श्री कुलदीप पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर व श्री वीरेन्द्र कुमार श्री सजाराम, निवासी–घास मण्डी, कस्बा व थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा संचालित टैरा कोटा के बर्तन बनाने की इकाई के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोदय, बुलन्दशहर के संदर्भ सं0–3084/ई0आर0के0 दिनांक 29.06.2019, जो इस कार्यालय में दिनांक 02.07.2019 को प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत शिकायती इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.08.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त शिकायती इकाई, ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के आवासीय क्षेत्र के मध्य स्थापित/संचालित है, जिससे इकाई के संचालन से आस पास की आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 10.11.2003 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है (छायाप्रति संलग्न है), जिसमें आवासीय क्षेत्र में भू–प्रयोग के विरूद्ध स्थापित/संचालित व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों आदि के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर पालिका/स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से कार्यवाही कर शिकायत का निस्तारण कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
13.8.19
जी0एस0 श्रीवास्तव
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः श्री प्रमोद गौतम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।

13.8.19
क्षेत्रीय अधिकारी

श्री प्रमोद गौतम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर द्वारा श्री प्रदीप शर्मा एवं श्री कुलदीप पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी–ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर व श्री वीरेन्द्र कुमार श्री सजाराम, निवासी–घास मण्डी, कस्बा व थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा संचालित टैरा कोटा के बर्तन बनाने की इकाई के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

जिलाधिकारी, महोदय, बुलन्दशहर के संदर्भ सं0–3084/ई0आर0के0 दिनांक 29.06.2019 के अनुपालन में संदर्भित शिकायती इकाई का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरिकर्ताओं द्वारा दिनांक 05.08.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रदीप शर्मा एवं शिकायतकर्ता प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रमोद गौतम उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. श्री प्रदीम शर्मा एवं श्री कुलदीप पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर व श्री वीरेन्द्र कुमार एवं श्री सजाराम, निवासी–घास मण्डी, कस्बा व थाना खुर्जा नगर, जनपद–बुलन्दशहर द्वारा उक्त इकाई का संचालन किया जा रहा है। उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त इकाई का संचालन मार्च, 2019 से किया गया है।
2. प्रश्नगत् इकाई में कच्चे माल के रूप में मिट्टी एवं सिरेमिक्स कलर आदि का उपयोग कर टैरा कोटा बर्तन जैसे–कुल्हड़ इत्यादि का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय उक्त इकाई में टैरा कोटा बर्तन पकाने हेतु टनल फर्नेस स्थापित है। उक्त फर्नेस का संचालन हेतु ईधन के रूप में डीजल/आयल का उपयोग किया जाता है।
4. उक्त उद्योग में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में अनवरत् रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु एक डीजी सेट स्थापित किया गया है, परन्तु निरीक्षण के समय उक्त डीजी सेट तकनीकी खराबी के कारण बन्द पाया गया।
5. निरीक्षण के समय उपस्स्थित इकाई प्रतिनिधि से इकाई की स्थापनार्थ/संचालन सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु इकाई प्रतिनिधि द्वारा कोई इकाई की स्थापनार्थ/संचालन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त स्थल पर इकाई की स्थानार्थ हेतु इस कार्यालय द्वारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं इकाई के संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं किया गया है।
7. उक्त इकाई उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर के आवाससीय क्षेत्र के मध्य स्थापित/संचालित है।

उपरोक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुये उक्त संदर्भित शिकायती इकाई, ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के आवासीय क्षेत्र के मध्य स्थापित/संचालित है, जिससे इकाई के संचालन से आस पास की आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 10.11.2003 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है (छायाप्रति संलग्न है), जिसमें आवासीय क्षेत्र में भू–प्रयोग के विरूद्ध स्थापित/संचालित व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों आदि के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/नगर पालिका/स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है।

अतः प्रश्नगत् शिकायती इकाई को ग्राम–उस्मापुर, परगना व तहसील–खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर से स्थानान्तरित कराने की कार्यवाही हेतु सम्बधित खुर्जा विकास प्राधिकरण, खुर्जा, जनपद–बुलन्दशहर को पत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(राहुल) 13/08/19
जे0आर0एफ0

(कुँवर संतोष कुमार) 13/08/19
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी, महोदय,

13.08.19

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 380452

शपथ पत्र

सेवा में,

श्री मान क्षेत्रीय प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
शिव पुरी, रेलवे रोड, बुलन्द शहर

शपथ पत्र श्रीमति जानकी चंचल शर्मा पुत्री प्रदीप शर्मा निवासी उरमाडर पो० व त० बकरआ जिला- बुलन्द शहर

शपथी बहलफ ब्यान करती है कि-

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सच्च व सही है।
2. यह कि शपथी द्वारा जो कुल्हड़ बनाने का काम अपने घर में कराया था वह अब पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है।

उपरोक्त कथन सच्च व सही है

दिनांक 16.10.2015

ATTESTED SIGNATURE/T (As Identified)

R.D SHARMA
Advocate & Notary

जानकी शर्मा
शपथी

प्रदीप शर्मा रामचन्द्र शर्मा

NOTARIAL

NOTARIAL